

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के सामने, केन्द्रीय पौधशाला, भरतपुर - 321001 (राज.)
फोन : 05644-226017, 227518 ई-मेल : ecf.bhp.forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसंभ/2021-22/
निगित्त,

1667

दिनांक 10-4-23

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए),
राजस्थान, जयपुर।

विषय: Diversion of 0.9272 ha. of Forest Land in favour of Jio DIGITAL FIBER PVT LTD for permission for underground OFC laying in ROW of exiting road from karauli to mandrayal. {Proposal No.- FP/RJ/OFC/46084/2020}

प्रसंग: प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक प. 1 (7) वन/2022 दिनांक 25.01.2022 व उप वन संरक्षक, करौली का पत्र क्रमांक एफ ()वसु/उवसं/2022-23/2200 दिनांक 04.04.2023

महोदय

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आलौच्य वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में राजस्थान सरकार द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 25.01.2022 से जारी सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, करौली द्वारा संदर्भित पत्र दिनांक 04.04.2023 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की है :-

S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त की पालना में अण्डरटैकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त की पालना में अण्डरटैकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त की पालना में अण्डरटैकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की पूर्वानुमति नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त की पालना में अण्डरटैकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त की पालना में अण्डरटैकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त शर्त की पालना में

Signature valid

Digitally signed by Kishorel Palanisamy
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.04.10 16:36:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3602133



S.No.	Stipulated Conditions	Compliance
	कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त भारत की पालना में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दि 11 निर्देशों का पालन करेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त भारत की पालना में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत की गयी है। (संलग्न)
	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रकरण में जिला कलक्टर, करौली द्वारा पत्रांक Rev/2023/2473-74 Dated 18.01.2023 से एफआर सर्टिफिकेट जारी किया है। मूल एफआरए सर्टिफिकेट मय उपखण्ड स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण संलग्न प्रेषित है।
	राज्य सरकार द्वारा दी गयी इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	यूजर एजेन्सी द्वारा उक्त बिन्दु से सहमति जाहिर की गयी है। (अण्डरटेकिंग संलग्न)
	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेन्सी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षर 1: प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	यूजर एजेन्सी द्वारा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)

अतः उक्तानुसार प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की यूजर एजेन्सी व उप वन संरक्षक, करौली से प्राप्त बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट तीन प्रतियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(पी. कथिरवेल)
मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर
दिनांक

क्रमांक एफ ()एफसीए/मुवसंभ/2021-22/
प्रतिलिपी :-

1. उप वन संरक्षक, करौली को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवेदन कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

Signature valid

Digitally signed by Kathirvel Palanisamy
Designation : Chief Conservator Of
Forest
Date: 2023.04.10 15:36:03 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3602133



कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली (राज0)

(गदका की चौकी, करौली-322241, फोन नं. 07464-287003, Email: dcf.krolli.forest@rajasthan.gov.in)

क्रमांक-एफ()वसु/उवसं/2022-23/ 2200
निमित्त

दिनांक-04/4/2023

मुख्य वन संरक्षक
भरतपुर

विषय:- Diversion of 0.9272 ha. Of forest land in favour of JIO DIGITAL FIBER PVT LTD for Laying underground OFC Cable in Row of existing road from karauli to mandaroyal.

प्रसंग:- कार्यालय राज सरकार पर्यावरण, वन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1 (7) वन /2022 जयपुर दिनांक 25.01.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि कार्यालय राज सरकार पर्यावरण, वन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1 (7) वन /2022 जयपुर दिनांक 25.01.2022 द्वारा शर्तोधीन स्वीकृति जारी की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट युजर एजेन्सी से चाही गई थी, जो उन्होंने उनके पत्र क्रमांक JDPL/FOREST/KAR/002 दिनांक 16-05-2022 से इस कार्यालय को प्रेषित की थी। परन्तु युजर एजेन्सी द्वारा उक्त बिन्दुओं की अप्पडरेकिंग नहीं भिजवायी गयी थी जो उनके पत्रांक JDPL/46804/PF/01 दिनांक 24.03.2023 द्वारा इस कार्यालय को भिजवायी गयी। अतः उक्त बिन्दुओं की अप्पडरेकिंग संलग्न कर 4 प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवायी जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार एवं इस कार्यालय का पत्रांक 6870 दिनांक 07.11.2022।

भवदीय

(सुश्री मिश्रा)
उप वन संरक्षक

करौली

दिनांक: / /202

क्रमांक-एफ()वसु/उवसं/2022-23/2200
प्रतिलिपि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रादेवरात एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. राजस्थान जयपुर को सूचनाार्थ प्रेषित है-



6-4-23
पत्र भिजवायी

उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैधांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 1: वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

उप वन संरक्षक
उप वन सहायक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्यांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट


Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 2: प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

For JIO Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

C.S.


उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

**Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal**

शर्त संख्या 3: याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियो एवं जीव जंतुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किए जाएंगे।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

C-5


खुष वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 4: प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की पूर्वा अनुमति के नहीं काटा जाएगा।
क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

C-5


उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 5: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल /वनक्षेत्र के आसपास मजदूरो /स्टाफ के लिए किसी भी
प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जाएगा।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory


उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 6: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मज़दूरों /स्टाफ को रसोई गैस/
केरोसिन तेल आपूर्ति की जाएगी, ताकि निकटवर्ती गुणों को क्षति न हो।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

C-5


उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैधांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 7: प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आसपास की वन भूमि से /पर निर्माण कार्य
के दौरान मिट्टी /पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।

C-5

For The Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorised Signatory


उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 8: प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की
पालना की जाएगी।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

CS

उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 9: प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/46084/2020 से संबंधित FRA प्रमाण पत्र जिला कलेक्टर करौली ने पत्रांक
Rev/ 2023/2472-74 दिनांक 18.01.2023 द्वारा जारी कर दिया है जिसकी प्रतिलिपी जिला कलेक्टर करौली ने श्रीमान
उप वन संरक्षक करौली को मय संलग्नकों के प्रेषित कर दी है।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

C-5


उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैध्दांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 10: सहमत है।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED


CIN: U64200GJ2018PTC105652

शासन सचिव वन विभाग राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1 (7) वन/2022
दिनांक 25.01.2022 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्तों की पालना रिपोर्ट

Proposal No.FP/RJ/OFC/46084/2020 about laying underground OFC in RoW of
road existing between Karouli to Mandrayal

शर्त संख्या 11: यूजर एजेंसी द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति को एक हिंदी तथा एक अंग्रेजी अखबार में प्रकाशित करवाकर
शर्त की पालना कर दी गई है।

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.


Authorized Signatory

C-5


उप वन संरक्षक
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

JDFPL/46084/PF/01

Dated: 24 March 23

उप वन संरक्षक

करौली

विषय: प्रस्ताव संख्या FP/RJ/OFC/46084/2020 की अंतिम स्वीकृति दिलाने बाबत

महोदय,

विषयांकित प्रस्ताव की सैध्यांतिक स्वीकृति शासन सचिव (वन) के पत्र 1 () वन/ 2022 दिनांक 25/01/22 द्वारा जारी की गई थी। सैध्यांतिक स्वीकृति में उल्लेखित शर्तों की पालना रिपोर्ट (5 प्रतियों) में इस पत्र के साथ संलग्न कर विशेष पत्र वाहक के साथ प्रेषित की जा रही है।

निवेदन है कि FRA प्रमाण पत्र तो हमें प्राप्त हो गया है परंतु उसके संलग्नक हमें नहीं मिले हैं अतः शर्त संख्या 9 में उल्लेखित FRA प्रमाण पत्र के संलग्नकों को आप अपने स्तर से उच्च कार्यालय को भेजते हुए विषयांकित प्रस्ताव की अंतिम स्वीकृति अति शीघ्र दिलाने की कृपा करें।

निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त प्रस्ताव की monitoring PMG पोर्टल भी की जा रही है। अतः शीघ्र अंतिम स्वीकृति दिलाने हेतु विशेष निवेदन है।

आदर सहित

संलग्न : पालना रिपोर्ट - (5 प्रति - 55 पृष्ठ)

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.



Authorized Signatory

de

प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी FCA राजस्थान, जयपुर
2. मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.



Authorized Signatory

de

दिनांक 24/03/23 को । पत्रावली Jio Digital ofc पराबत
24/03/23



कार्यालय उप वन संरक्षक, करौली(राज0)

(गदका की चौकी, करौली 322241, फोन नं. 07464-207003, Email: upkarauli@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/
निमित्त,

दिनांक:- / / 2023

क्षेत्रीय वन अधिकारी
करौली

विषय:- Division of 0.9272 ha. Of forest land in favour of JIO DIGITAL FIBER PVT LTD for Laying underground OFC Cable in Row of exting road from karauli to mandaroyal (FP/RJ/OFC/46084/2020)

प्रसंग:- कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के पत्र क्रमांक एफ () 2022-23 / एफसीए / मुवसंभ / 663 दिनांक 14.02.2023

उपरोक्त विषयान्तर्गत विषयांकित वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के पत्र क्रमांक एफ () एफसीए / मुवसंभ / 2021-22 / 7624 दिनांक 29.11.2022 से भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 07.05.2015, दिनांक 28.08.2015 एवं राजस्थान सरकार के पत्रांक एफ नं. 1 (5) वन / 2010 जयपुर, दिनांक 07.01.2022 की अनुपालना में शर्ताधीन कार्यानुमति जारी की गई थी।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर के परिपत्र क्रमांक एफ 16 (सर्कुलर) 2005 / एफसीए / प्रमुवसं / 4228-4240 दिनांक 20.12.2022 व अति. प्रधान मुख्य संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज. जयपुर के पत्रांक एफ 16 (सर्कुलर) 2005 / एफसीए / प्रमुवसं / 4241-53 दिनांक 20.12.2022 के द्वारा निर्दिष्ट किया गया है कि भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा लीनियर प्रोजेक्ट हेतु जारी दिशा निर्देश क्रमांक 11-306/2014-एफसी दिनांक 07.05.2015, दिनांक 28.08.2015 मार्गदर्शिका पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृतियों में ही लागू हैं।

अतः विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में कार्यालय मुख्य वन संरक्षक भरतपुर के के पत्र क्रमांक एफ () एफसीए / मुवसंभ / 2021-22 / 7624 दिनांक 29.11.2022 से जारी एक वर्षीय कार्यानुमति को उक्त प्रारंभिक पत्र से निरस्त कर दिया गया है।

अतः यह सुनिश्चित करें कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं हों।

२०

(सुरेश मिश्रा)
उप वन संरक्षक
करौली

क्रमांक:-एफ()वसु/उवसं/2022-23/ 1378

दिनांक:- 3 / 3 / 2023

प्रतिलिपि User Agency, Jio Digital Fiber Ltd. 1st floor, Anand Bhawan, SC Road, Jaipur को दी जाकर लेख है कि विषयांकित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण में प्रस्तावित वन भूमि पर किसी प्रकार का गैर वानिकी कार्य नहीं करें।

उप वन संरक्षक
करौली

FORM-I
(for linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District Collector, Karauli.

No.Rev./2023/

Dated .01.2023

To WHOM-SO-EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11- 9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it has been certified that 0.9272 hectares area of forest land in village Shayampur,Chainapura, Jhareela, Phirojpur, Langra,Sathalpur,Kasiyapura,Antripura, Mandrayal Of Tehasil Mandrayal Forest Range Mandrayal and Rangawa Tal Road, Bichpuri,Sankara/Bhikampura Road Of Tehasil Karauli Forest Range Karauli proposed to be diverted in favour of Jio digital fibre Pvt. Ltd.(proposal no. FP/RJ/OFC/46084/2020) for laying of under Ground Optical Fibre Cable Work At Karauli-Mandrayal Road Dist Karauli .

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.972 hectares of forest area proposed for diversion. There are no such forest Dwellers Scheduled Tribes Persons residing in the proposed area with rights scheduled Tribe and other traditional forest dwellers (recognition of forest rights) Act 2006. A copy of records of all consultations and Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure .
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed .
- (c) the proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls.: As above

— *sd* —
(ANKIT KUMAR SINGH)
District Collector
Karauli (Raj.)
Dated 18 .01.2023

No.Rev./2023/2473-74

Copy forward to-

1. D.C.F. Karauli & RTR (Buffer) Karauli Wildlife.
- ✓ 2. Jio Digital Fiber Private Limited, 1st Floor, Anandbhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur -302001, India.(Ref No. RJIL/OFC/FRA/02 Dated 7th February 2022)

[Signature]
District Collector Karauli

कार्यालय जिला कलक्टर करौली

क्रमांक / राजस्व / 2022 / 4385-86
उपखण्ड अधिकारी
करौली / मण्डरायल।

दिनांक: 13/12/2022

विषय:- फोरेस्ट राईट्स एक्ट 2006 के अन्तर्गत करौली से मण्डरायल को जोड़ने वाली सड़क के किनारे-2 सड़क के आर.ओ.डब्लू में भूमिगत OFC डालने के लिए फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग: इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक 604-05 दिनांक 08.02.2022।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा Authorized Signatory JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED के पत्र क्रमांक RJIL/OFC/FRA/02 दिनांक 17.09.2021, जिसके द्वारा फोरेस्ट राईट्स एक्ट 2006 के अन्तर्गत करौली से मण्डरायल को जोड़ने वाली सड़क के किनारे-2 सड़क के आर.ओ.डब्लू में भूमिगत OFC डालने के लिए फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र चाहा गया था, की छायाप्रति प्रेषित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए वांछित प्रस्ताव चाहे गये थे, परन्तु आप द्वारा वांछित प्रस्ताव/दस्तावेज आदिनांक तक इस कार्यालय को नहीं भिजवाये गये हैं, जिसके कारण प्रकरण में एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने की आगामी कार्यवाही नहीं की जा सकी है। उक्त प्रकरण दिनांक 13.12.2022 को माननीय मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आयोजित वी.सी. में भी रखा गया था, जिसे आगामी 10 दिवसों में निस्तारित करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं।

अतः प्रकरण में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की तथा ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की मीटिंग का आयोजन कराकर यह प्रस्ताव पारित करावें कि वनाधिकार अधिनियम 2006 तथा संशोधित अधिनियम 2012 के तहत कोई वन अधिकार पत्र तो जारी नहीं किया गया है अथवा कोई प्रक्रियाधीन तो नहीं है, का प्रस्ताव पारित करवाकर वन भूमि के खसरा नम्बर व रकबा अंकित कराकर बैठक कार्यवाही विवरण 2-2 प्रतियों में दिनांक 18.12.2022 तक आवश्यक रूप से इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

—sd—
(मुरलीधर प्रतिहार)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

दिनांक: 13/12/2022

क्रमांक / सम / 4387

प्रतिलिपि:- Authorized Signatory JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED 1st Floor, AnandBhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur-302001 को उनके पत्रांक RJIL/OFC/FRA/02 दिनांक 17.09.2021 के क्रम में भेजकर लेख है कि आप संबंधित उपखण्ड अधिकारी से संपर्क कर आवश्यक कार्यवाही करावें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
करौली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मण्डरायल

क्रमांक उपजि/राजस्व/2022/3523

दिनांक : 23.12.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करीली के पत्रांक राजस्व/2022/604-05 दिनांक 08.02.2022 की अनुपालना में Authorized Signatory JIO Digital Fibre private Limited को भूमिगत OFC लाईन बिछाने जाने के संबंध में वन विभाग को एफ0आर0ए0 प्रमाण पत्र के उपदेश से भूमिगत लाईन बिछाने जाने के संबंध में अनुसूचित जनजाति और परम्परागत अन्य वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आज दिनांक 23.12.2022 को आयोजित की गयी। जिसमें निम्न अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित हुए।

- 01 विकास अधिकारी पंचायत समिति मण्डरायल।
- 02 तहसीलदार मण्डरायल।
- 03 क्षेत्रीय वन अधिकारी सामाजिक वानिकी मण्डरायल।
- 04 जे0टी0ओ0 जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड करीली।
- 05 श्रीमति ममता देवी पंचायत समिति सदस्य वार्ड नम्बर 01।
- 06 श्री ईश्वर लाल मीना पंचायत समिति सदस्य वार्ड नम्बर 13 चन्देरीपुरा।
- 07 श्रीमति ममता देवी पंचायत समिति सदस्य वार्ड नम्बर 17 बुगडार।

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	ग्राम	खसरा नम्बर	डायवर्जन के लिये वांछित भूमि (हेक्टेयर)	भूमि का प्रकार
01	श्यामपुर	श्यामपुर	18	41.9228	वन भूमि
			7/1	26.2160	
			3/650	24.5087	
			3/651	15.4665	
			66/1	10.3195	
			615	17.2876	
			633	10.5471	
02		चैनापुरा	2	4.6412	वन भूमि
			4	7.4234	
			31/151	33.1083	
			115/1	51.5847	
			115/3	148.7951	
03	नैदर	झारीला	1	95.1642	वन भूमि
			1/167	0.9738	
04		फिराजपुर	1/385	28.2706	वन भूमि
05	लामारा	लामारा	2055/1	33.5762	वन भूमि
			2055/2	186.8447	
06		साथनपुर	7072/2	135.9488	वन भूमि
			2068/1772	62.3594	
			2119	15.8080	
			2081/2	30.3261	

07		कसियापुरा	2021/2	37.2563	
08	गढी का गांव	आतरीपुरा	107	2.0234	वन भूमि
			153/2	0.6323	वन भूमि
			160/2	5.3368	
			267/2	0.2782	
			3/2	92.4705	
			390/2	0.1644	
			396/2	0.1770	
09	मण्डरायल	मण्डरायल	1006	0.6197	
			102	0.0506	
			108	0.6576	
			1084	0.0885	
			1088	0.2482	
			1090/1232	0.0506	
			1091	0.0379	
			1095	0.5691	
			865	0.5817	
			867	0.2529	
			924	0.7714	
			938	0.4806	
			940	0.4553	
			975	0.1518	
			978	0.5311	
			983	0.4932	

बैठक में सर्वसम्मति से उपरोक्त कार्य हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जारी करने का अनुमोदन किया गया। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार उपरोक्त वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य अनुमोदन बनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है। उक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी की संख्या शून्य है।

लेट्रीय वन अधिकारी
मण्डरायल

विकास अधिकारी
पंचायत समिति मण्डरायल

तहसीलदार
मण्डरायल

जे०टी०आ०

प०स० सदस्य

प०स० सदस्य

मंगल

जी०आ० कराली

वार्ड न० ०१

वार्ड न० १३

प०स० सदस्य

वार्ड न० १७

लेट्रीय वन अधिकारी

कमप्लीट रूप - मण्डरायल

उपखण्ड अधिकारी
मण्डरायल

कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति करौली

क्रमांक/पसक/2022/ 574

दिनांक 22-12-2022

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी
करौली

विषय :- फॉरेस्ट सड़ट-2006 के अन्तर्गत करौली से मण्डसायल को जोडने वाली सड़क के किनारे-किनारे सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत ओएफसी डालने के लिए फॉरेस्ट क्लीरेन्स हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।


प्रसंग :- आपका पत्रांक 597 दिनांक 04.10.2022 तथा 639 दिनांक 20.10.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत हरनगर के ग्राम रणगंगा ताल रोड खसरा नम्बर 8354, 8355, 8365, 9273, 9667, 9266, 9169, ग्राम तिचपरी में खसरा नम्बर 785, 785, 913 एवं सांकरा/भीकमपुरा रोड खसरा नम्बर 1115, 1409, 1410, 1371, 1279, 1284, 1591 में ज़िआ डिजीटल फाईवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ओएफसी रूट करौली में फॉरेस्ट सड़ट 2006 के अन्तर्गत करौली से मण्डसायल को जोडने वाली सड़क के किनारे-किनारे सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत ओएफसी लाईन डालने हेतु फॉरेस्ट क्लीरेन्स हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया जाना है।

अतः इस संबंध में निवेदन है कि ग्राम पंचायत में स्थित वन भूमि का प्रत्यापण कर ज़िआ डिजीटल फाईवर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा ओएफसी लाईन डालने के कार्य में ग्राम सभा ग्राम पंचायत हरनगर तथा वन अधिकार समिति ग्राम हरनगर को कोई आपत्ति नहीं है।

सलग्न :- ग्राम सभा दिनांक 20.12.2022 की प्रति तथा वन अधिकार समिति हरनगर की बैठक दिनांक 21.12.2022 की प्रति


(अनिता मीना)
विकास अधिकारी
पंचायत समिति करौली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी करौली

क्रमांक / विविध / 2022 / 746

दिनांक : 30.12.2022

01. तहसीलदार करौली
02. विकास अधिकारी करौली
03. वरिष्ठ प्रबंधक जिओ प्राइवेट लिमिटेड करौली
04. सहायक वन संरक्षक करौली
05. श्री रामहरि मीना सदस्य वार्ड नं. 23 पं.समिति करौली
06. श्री जयसिंह मीना सदस्य वार्ड नं. 07 पं. समिति करौली
07. श्रीमति कल्पना बैरवा सदस्य वार्ड नं. 09 पं. समिति करौली।


जरिये विकास अधिकारी पं.स.
करौली

विषय:- जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करौली से मंडरायल एवं करौली से हिण्डौन को जोड़ने वाली सड़क के किनारे सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत सड़क के फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 02.01.2023 के संबंध में।

प्रसंग :- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय करौली का पत्र क्रमांक : राजस्व/4390 दिनांक 13-12-2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि जिओ डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा करौली से मंडरायल एवं करौली से हिण्डौन को जोड़ने वाली सड़क के किनारे सड़क के आर.ओ.डब्ल्यू में भूमिगत ओएफसी डालने हेतु फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र जारी किया जाना है। भूमिगत लाईन के संबंध में फोरेस्ट क्लियरेंस हेतु एफ.आर.ए.प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आयोजित बैठक दिनांक 02.01.2023 के संबंध में 12.00 बजे कार्यालय हाजा में अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अतः आप उक्त के संबंध में नियत समय पर मीटिंग में संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करें।


(दीपाशु सांगवान)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

दिनांक : 30.12.2022

क्रमांक / सम / 747-48
प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, करौली
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी करौली।


उपखण्ड अधिकारी
करौली

JIO DIGITAL FIBRE PRIVATE LIMITED

CIN: U64200GJ2018PTC105652

No. RJIL/OFC/FRA/

Date; 11/01/2023

To

The Collector

Karouli, Rajasthan.

Sub: Request to provide FRA,2006 certificate in respect of proposal No. FP/RJ/OFC/46084/2020—OFC laying in RoW of road from Karouli to Mandrayal.

Ref: Our letter No. No. RJIL/OFC/FRA/02 dated 07/02/2022.

Sir,

The Forest Secretary, GoR, has issued in-principle approval of proposal No. FP/RJ/OFC/46084/2020 vide letter No.F1(7)Forest/2022 dated 25/01/2022.

As per condition No.9 of in-principle approval, the User Agency is required to submit FRA certificate for getting final permission.

We, therefore, request you, sir, to please issue FRA, 2006 certificate as early as possible.

Yours faithfully

For Jio Digital Fibre Pvt. Ltd.

Authorized Signatory

Registered Office: Office - 101, Saffron, Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta, Ambawadi, Ahmedabad-380006, Gujarat, India.
Tel no: 079-35600100

State Office : 1st Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Near Government Hostel, Jaipur – 302 001, Rajasthan, India

Submitted copy of this letter to the Dist collector on 11/1/23 in Karouli